संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/ 39 /उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांकः- / 06 /2019

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला दमोह (म.प्र.)।

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला दमोह (म.प्र.)।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका पारिषद दमोह
जिला दमोह (म.प्र.)।

विषयः- दमोह विकास योजना 2031 में उपांतरण बाबत् (ग्राम- दमोह खास खसरा क्रमांक 1398/1, 1398/2)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा दमोह विकास योजना 2231 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्नः-यथोपरि।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक 3301 /टीसी/ 39 /उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांकः- 7 / 06 /2019

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

SB(Stoke) / सू.प्रौ.अ.
11/06/19

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 07 / 06 /2019

क्रमांक 3298 / 39 /उपां/टीसी/ नग्रानि / 2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट दमोह विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	दमोह खास	1398/1	5.504 में से 5.280 हेक्टर	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित उधान एवं खेल मैदान एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (प्रधान मंत्री आवास योजना)
		1398/2	8.171 में से 6.80 हेक्टर	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित उधान एवं खेल मैदान तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (प्रधान मंत्री आवास योजना)
		योग:-	12.08 हेक्टर		

शर्तः- प्रश्नाधीन भूमि में आमोद-प्रमोद से प्रभावित भूमि के क्षेत्रफल के बराबर भूमि नगर पालिका दमोह के पक्ष मे आरक्षित की जाना आवश्यक होगा तथा नगर पालिका द्वारा उसके विकास हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में करना अनिवार्य होगा ।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल